न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 166/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/348
निर्णय दिनांक 06.02.2025

मोहनराम पुत्र खिराजराम जाति जाट निवारी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ
2. आसीदेवी पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 131, 136एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से दावा निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि वादी के नाम से पुराना खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 334 तादादी 43 बीघा 03 बिस्वा था जिसमें से सड़क की भूमि कम होने के बाद 32 बीघा 16 बिस्वा 16 बिस्वा भूमि शेष रही जिसमें से वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.09.1987 को 10 बीघा भूमि पूर्वी तरफ से विक्रय की था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी के नाम से खसरा नम्बर 504 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.0900 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 502 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 503 तादादी 2.5200 हैक्टेयर कायम हुए जो खसरा नम्बर 334 तादादी 32 बीघा 16 बिस्वा से कायम हुए है। वादी का कब्जा काश्त सड़क से उतरी तरफ 4.1200 हैक्टेयर एवं सड़क के दक्षिणी तरफ जिसके आसे पासे अनुसार उतर में खसरा नम्बर 312 दक्षिणी में 1.6500 हैक्टेयर चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने सड़क की तरमीम करते समय सड़क से उतरी तरफ 4.6800 हैक्टेयर एवं सड़क के दक्षिणी तरफ 1.0900 हैक्टेयर तरमीम कर दी जो मौके कब्जे के बिलकुल विपरीत है। वादी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेतों का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खेतों की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी है जिसको सही करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है । एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को कई तरह की परेशानिया आती है। वादी अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने की अधिकारी है। वादी के खेत नक्शा सीट में मौके एवं कब्जे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में तरमीम करवाने हेतु प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 17.10.2023 को वादी की भूमि की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। यही वाद कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। दावा घोषणा एवं [illegible] है जिसमें स्टेट को पक्षकार भूमिधारी होने से बनाया गया है। स्टेट के विरूद्ध कोई [illegible] अनुतोष नहीं चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 11:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

इसलिए धारा 80(1) सीपीसी के नोटिश की छूट हेतु धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश किया जा रहा है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। दावा श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार में है। अतः दावा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार आदेशित फरमावें।

(क) यह है कि वादी के खेत खसरा नम्बर 504 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.0900 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर के बजाय खसरा नम्बर 504 तादादी 4.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.6500 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर दर्ज कर राजस्व नक्शा अक्स में तरमीम मौका कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें ।

(ख) यह है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादी के खसरा नम्बर 504 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.0900 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर के बजाय खसरा नम्बर 504 तादादी 4.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.6500 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर दर्ज कर राजस्व नक्शा अक्स में तरमीम मौका कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें।

(ग) यह है कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जावे वो भी प्रदान किया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 504 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.0900 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर के स्थान पर खसरा नम्बर 504 तादादी 4.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 854 तादादी 1.3900 घोषित कर तद्नुसार राजस्व नक्शा अक्स में तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 11:13:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मोहनराम पुत्र खिराजराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ
2. आसीदेवी पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 166/2024

दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 06.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई, श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 504 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 1.0900 हैक्टेयर रोही ढुकरियासर के स्थान पर खसरा नम्बर 504 तादादी 4.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 854 तादादी 1.3900 घोषित कर तद्नुसार राजस्व नक्शा अक्स में तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 06 माह 2 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 11:13:03 IST
Reason: SelfAttested